राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप–6)विभाग

क्रमांक– प0 10(8) राज–6/2001/12 जयपुर,दिनांक:– 2-05-2006

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

::परिपत्र::

विषय:–विभिन्न प्रकार की सडकों के किनारें खाली पड़ी भूमि पर कितनी दूरी छोड़कर निर्माण/उधोग स्थापित करने के सबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभिन्न प्रकार की सडकों के मध्य से कितनी दूरी छोड़कर निर्माण/उधोग लगाने के सबंध में राजस्व विभाग(ग्रुप–6)विभाग, भूमि रूपान्तरण विभाग द्वारा विभिन्न परिपत्र जारी की हुई है।

1.राजस्व(ग्रुप–6)विभाग का परिपत्र 10(8)राज–6/2001/8 दि0 6.7.04
2. राजस्व(ग्रुप–6)विभाग का परिपत्र 10(8)राज–6/2001/18 दि0 1.11.04
3.राजस्व(ग्रुप–9)का परिपत्र 2(8)राज/भू.रू/राज–9/02 दि0 15.1.03
4. राजस्व((भूमि रूपान्तरण)विभाग का परिपत्र 2(8)भू.रू/ग्रुप–9/02 दि0 20.11.04

उक्त परिपत्रों के कारण यह भ्रांति हो रही है कि किस प्रकार की सड़क के मध्य से कितनी दूरी पर निर्माण/उधोग लगाये जावे।

अतः उक्त समस्या के निराकरण हेतू निदेशानुसार उक्त सभी परिपत्रों के अतिक्रमण में यह परिपत्र जारी करते हुये लेख है कि शहरी क्षेत्रों के बाहर भूमि के सपंरिवर्तन के समय जो भी इण्डियन रोड़ कांग्रेस के दिशा निर्देश उस समय प्रभावी हैं वे ही लागू होगें।भविष्य में इस सबंध में राजस्व विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी विभाग द्वारा जैसे उधोग,भूमि रूपान्तरण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोई परिपत्र जारी नहीं किया जावेगा।

शहरी क्षेत्र हेतू नगरीय विकास व स्थानीय निकाय विभाग के नियम इस सबंध में लागू होगें। परन्तु पेराफेरी क्षेत्र में इण्डियन रोंड़ कांग्रेस के दिशा निर्देश ही लागू होगें।

आज्ञा से,

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।
1.प्रमुख शासन सचिव,उधोग विभाग।
2.प्रमुख शासन सचिव,सार्वजनिक निर्माण विभाग।

उप शासन सचिव

cirrcular/p-29/k.k